



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042022-235209
CG-DL-E-19042022-235209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1760]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

No. 1760]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

का.आ. 1850(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में NH18 के कि.मी. 1.5 से कि.मी. 7 (एट- बणगिरिपोसी, Po. बणगिरिपोसी, प /स बणगिरिपोसी, डिस्ट - मयूरभंज.) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "२३.०१.२०२२" को "सम्बाद" और "ओडिशापोस्ट" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में NH18 के कि.मी. 1.5 से कि.मी.7 (एट- बणगिरिपोसी , Po. बणगिरिपोसी, प /स बणगिरिपोसी, डिस्ट - मयूरभंज.) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: मयूरभंज			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बांगिरीपीसी				
	गांव का नाम: कलाबारीआ				
1	130/309	निजी(घरबरी)	घरबरी	0.0060704	ललितेंदु सत्पथी, ऍस्/ओ सूनिल् कुमार सत्पथी, भिलझ- जमुनादेवपुर ()
2	130/309/381	निजी(घरबरी)	घरबरी	0.0121408	कबेरी रुप, डबल्यू/ओ आशित रुप, भिलझ-ब्रह्ममंदिरसाही ()
			कुल	0.0182112	

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-5/Notification/3a/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

S.O. 1850(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said

notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH18 on the stretch of land from Km. 1.5 to Km. 7 (At- Bangiriposi, Po. Bangiriposi, P/s. Bangiriposi, Dist - Mayurbhanj) in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sambad” and “OrissaPost” both dated 23.01.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any corner by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH18 in the stretch of land from NH18 (At- Bangiriposi, Po. Bangiriposi, P/s. Bangiriposi, Dist - Mayurbhanj) in the district of MAYURBHANJ in the State of ODISHA

State: ODISHA		District: MAYURBHANJ			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bangiriposi				
	Village: KALABARIA				
1	130/309	Private(Gharabari)	Gharabari	0.0060704	Lalitendu Satapathy, S/o Sunil Kumar Satapathy, Village- Jamunadeipur
2	130/309/381	Private(Gharabari)	Gharabari	0.0121408	Kaberi Rup, W/o Ashit Rup, Village- Brahmanandirsahi
			TOTAL	0.0182112	

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-5/Notification/3a/3D]

RAJESH GUPTA, Director